

पंजाब की सेवाएँ | कक्षा 12 के विद्यार्थी

प्राथमिक शिक्षा द्वारा एक बार अन्तर्गत (182, 191) का माध्यम काश्तकारी की शक्ति
 बाका ज्यो पशा, खानेवादी, कक्षा 12 की
 एवं लक्ष्मी निषेधाला तम बावन प्रकृत
 किता गया कि वादीगण के पिता एवं पत्नी
 कांटा जरी व नन्दा के जामिनी के कारण
 कारण एवं खानेवादी की यात्रा संगत में
 अन्य कारणों के साथ साथ साथ 2.40
 रुका 5 बीघा व बिस्वा कारणों निम्न
 मेटलनेट विभाग द्वारा प्रदत्त 24.2
 के तबीन दरमय नं. 103 रुका 0.59 104
 दर.नं. 108 रुका 0.26 114 कुल प्रकृत
 0.85 114 कापत्र किता गया | उक्त
 कारणों 3.4.1972 को पंजीकृत रदनगी
 से कलुयी करि पत्नी कुलमीरान जामिनी
 कलाल कीय को रदन नही गयी थी।
 लेकिन राज्य कार्रियों द्वारा उक्त
 रदनवाजे के आधार पर ही अन्तजालन 57



उपरोक्त अधिकारी

का

तारीख
दुपल

दुपल या कार्यवाही अथ इतिहास/अथ

अधिकार प्राप्त करने के लिए।

प्रार्थना द्वारा ज्ञात रूप अपने वाक्य
में अंकित किए गए हैं, व प्रगति या
सिद्धि प्रमाणित होते हैं।
उक्त परिस्थितियों में इन कर्मचारियों

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R11 एवं
धारा 151 CPC बाबत तालमूल में दिशि
जावे वाद हीकर दिशा ज्ञान न्यायीत्व
पाते हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 हीकर
द्वारा ज्ञात प्रार्थना द्वारा स्फुल्ल वाद
अन्तर्गत ^{अथ} 88, 89, 188, 92(A) रवाहीन दिशा
जाता है।

पत्रावली के ताल श्रुतार हीकर इतर
दलीवर ही।

29/11/27
उपखण्ड अधिकारी
कोर

